

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15092026-276193
SG-DL-E-15092026-276193असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]	दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2026/भाद्र 23, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 210
No. 271]	DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2026/BHADRA 23, 1948	[N. C. T. D. No. 210

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 सितम्बर, 2026

फा. सं. TPT-B015/1/2026/E-File: 370105/39464— मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (41) के साथ पठित, दिनांक 20.01.2026 की जीएसआर 48(ई) द्वारा यथा संशोधित, केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 167 के उप-नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त नियम के प्रयोजनार्थ निवारण हेतु प्राधिकारियों के रूप में निर्दिष्ट करते हैं:

क्र. सं.	पदनाम	विभाग
1	अनुभाग अधिकारी	शिक्षा विभाग
2	अनुभाग अधिकारी	रोजगार निदेशालय
3	खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी	खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
4	अनुभाग अधिकारी	उद्योग विभाग

क्र. सं.	पदनाम	विभाग
5	अनुभाग अधिकारी	पंजीयक सहकारी समितियाँ
6	अनुभाग अधिकारी	प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय
7	अनुभाग अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी	माप एवं तौल विभाग
8	अनुभाग अधिकारी तथा तहसीलदार	राजस्व विभाग
9	जिला परिवहन अधिकारी तथा प्रवर्तन अधिकारी	परिवहन विभाग

इसके अतिरिक्त, समस्त उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) निवारण हेतु उपर्युक्त प्राधिकारियों के कामकाज की निगरानी तथा समन्वय के लिए पर्यवेक्षी प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
निहारिका राय, सचिव-सह-आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 14th September, 2026

F. No. TPT-B015/1/2026/E-File: 370105/39464.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of Rule 167 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, as amended vide G.S.R. 48(E) dated 20.01.2026 read with sub-section (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby specifies the following officers as the Authorities for Redressal for the purposes of the said rule:-

S. No.	Designation	Department
1	Section Officers	Education Department
2	Section Officers	Directorate of Employment
3	Food and Supplies Officers	Department of Food Supplies and Consumer Affairs
4	Section Officers	Department of Industries
5	Section Officers	Registrar Cooperative Societies
6	Section Officers	Directorate of Training and Technical Education
7	Section Officers/Zonal Officers	Weights and Measures Department
8	Section Officers and Tehsildars	Revenue Department
9	District Transport Officers and Enforcement Officers	Transport Department

Further, all Sub-Divisional Magistrates (SDMs) and Additional District Magistrates (ADMs) shall function as Supervisory Authorities for monitoring and coordination of the functioning of the aforesaid Authorities for Redressal.

This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the

National Capital Territory of Delhi,

NIHARIKA RAI, Secy.-cum-Commissioner (Transport)